

फा.सं. 1/2(2)/2020-रा.म.आ.(प्रशा)-परामर्शदाता (ओएल)

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र

नई दिल्ली 110025

**विषय: संविदा के आधार पर परामर्शदाता (राजभाषा) की नियुक्ति।**

कानूनी आयोग के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों से संबंधित विषयों पर कार्यवाही करने, विद्यमान विधानों का पुनर्विलोकन और उनमें संशोधन की सिफारिश करने, महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतों पर विचार करने और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित सभी अधिनियमित विधानों के उचित कार्यान्वयन को मॉनीटर करने जिससे कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकें और विकास की प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें, की गई है।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय/राज्य/सरकारी/पीएसयू/वित्तीय संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों में से परामर्शदाता (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है जिन्होंने पूर्व में हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद कार्य करने से संबंधित पद धारित किया हो और जिनके पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड हो:

- आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य की हिंदी भाषा में मास्टर की डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी भाषा एक विषय के रूप रही हो या
- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य की अंग्रेजी भाषा में मास्टर की डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी भाषा एक विषय के रूप में रही हो या
- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य की हिंदी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री प्राप्त की हो और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी भाषा एक विषय के रूप में रही हो या
- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य की अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय की मास्टर की डिग्री हो और डिग्री स्तर पर हिंदी भाषा एक विषय के रूप में

रहा हो तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से एक वर्ष का अनुवाद पाठ्यक्रम पूरा किया हो।


- हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

3. 63 वर्ष से कम आयु के पात्र अभ्यर्थी संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी की बाबत उच्चतर आयु सीमा शिथिल की जा सकती है। परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा जो कि उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन को कम करके विद्यमान महंगाई भत्ते को जोड़कर तक सीमित होगा। देय कुल पारिश्रमिक कुल मिलाकर 40,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा।

4. पात्र और हितबद्ध अभ्यर्थी अपने जीवनवृत्त की एक प्रति तारीख 29.05.2020 तक ईमेल [ncw@nic.in](mailto:ncw@nic.in) द्वारा अवर सचिव को भेज सकते हैं।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग के सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार व्यक्तिगत बातचीत/साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग के पास यह अधिकार आरक्षित है कि वह कोई कारण बताएं बिना किसी या सभी आवेदनपत्रों को नामंजूर कर सकता है। आयोग के विवेकाधिकार पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है।

  
(प्रदीप कुमार)  
उप सचिव  
05.05.2020

अवर सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र

नई दिल्ली 110025

राष्ट्रीय महिला आयोग में परामर्शदाता (राजभाषा) के पद के लिए आवेदनपत्र

व्यक्तिगत ब्यौरे:-

1. नाम-

2. पिता का नाम-

3. जन्मतिथि-

4. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख पर आयु ..... वर्ष .....मास..... दिवस

5. राष्ट्रियता-

6. ग्रेड पे साथ पे बेंड/सेवानिवृत्त के समय धारित पद का वेतन स्तर-

(कृपया पीपीओ की एक प्रति संलग्न करें)

7. पत्राचार का पता-

8. स्थायी पता-

9. स्टेनोग्राफी/टंकण कुशलता (हिंदी/अंग्रेजी दोनों) की भाषा-

10. शैक्षणिक अर्हताएं (उच्चतर)-

11. सरकारी सेवा में पिछले 15 वर्ष के दौरान कार्य संबंधी अनुभव, यदि कोई हो-

क्रम सं.	संगठन/संस्थान और धारित पद	सेवावधि	अवधि के दौरान कार्य निष्पादन की प्रकृति

12. आवश्यक/वांछनीय अर्हताओं और अनुभव से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट जानकारी (अलग सीट का प्रयोग करें, यदि आवश्यक हो)

13. सेवा के अंतिम 15 वर्षों के दौरान कोई छोटी/बड़ी शास्ति अधिरोपित की गई हैं या नहीं।

### घोषणा

मैं शपथ पर यह घोषणा करता हूँ कि आवेदनपत्र में किए गए सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सही है। मैं इसके लिए वचनबद्ध और सहमत हूँ कि यदि कोई जानकारी मिथ्या या गलत/अपूर्ण पाई जाती है या चयन/साक्षात्कार से पहले या उसके पश्चात् किसी भी समय अपात्रता पाई जाती है तब मेरी अभ्यर्थिता को रद्द किया जा सकता है और मैं राष्ट्रीय महिला आयोग के विनिश्चय से आबद्ध होऊंगा। मैंने पात्रता मानदंडों और राष्ट्रीय महिला आयोग में परामर्शदाता के पद के निबंधनों और शर्तों को पढ़ और समक्ष लिया है और मैं स्पष्ट रूप से और बिना किसी शर्तों इन सभी निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

तारीख के साथ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
ईमेल  
मोबाइल